न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

मुत0प्रार्थना संख्या 35/17 सन् 2017
जीसीएमएस संख्या 2017/00259
बउनवानीः–भूमि विकास बैंक शाखा खण्डार जरिये सचिव भूमि विकास बैंक लि0 सवाईमाधोपुर

बनाम

1. मनफूल पुत्र धन्ना मीना निवासी बोहना, तहसील खण्डार जिला सवाईमाधोपुर
2. रामावतार पुत्र मंशा मीना निवासी बोहना तहसील खण्डार जिला सवाईमाधोपुर

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राज0 सह सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 103 व 99 के तहत ऋणी सदस्य की बैंक के रहन सम्पत्ति को बैंक के पक्ष मे अन्तरित करने बाबत)

उपस्थित :–श्री अमित बंसल — वकील प्रार्थी बैंक
श्री भवंर सिंह जादौन — वकील अप्रार्थी

–: निर्णय :– **दिनांक 06.01.2022**

प्रार्थना पत्र सचिव भूमि विकास बैंक लि0 सवाईमाधोपुर के जरियें भूमि विकास बैंक शाखा खण्डार के खाता संख्या 79 पर अप्रार्थी द्वारा बैंक का बकाया अवधिपार ऋण चुकता नही करने तथा अप्रार्थी की सम्पति/कृषि भूमि जो कि बैंक के रहन है, को बैंक द्वारा निलामी कार्यवाही मे बेची नही जा सकने के कारण अप्रार्थी की सम्पति/कृषि भूमि को बैंक के नाम अन्तरण करने हेतु राज0 सह. सोसायटी अधिनियम,2001 की धारा 103 व 99 के तहत आदेश जारी करने बाबत प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को बैंक की बकाया राशि जमा कराने हेतु नोटिस जारी कर नोटिस प्राप्ति के तीस दिवस मे जमा कराने व नियत दिनांक को न्यायालय मे उपस्थित होने बाबत सूचित किया गया किन्तु अप्रार्थीगण नियत दिनांक तक बैंक की बकाया राशि जमा नही करवायी गयी। तत्पश्चात बहस वकील भूमि विकास बैंक लि0 सवाईमाधोपुर व वकील अप्रार्थी सुनी गयी ।

वकील भूमि विकास बैंक लि0 सवाईमाधोपुर द्वारा कथन किया कि अप्रार्थीगण के विरूद्व राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम,2001 की धारा 100 के अधीन जारी प्रमाण पत्र के अनुसार असल 169069/–रू ब्याज 51700/–रू द0ब्याज 1567/–रू कुल राशि 122336/–रू एवं तत्पश्चात दिनांक 30.6.2015 तक अप्रार्थी के खाते में कुल बकाया असल 434625/–रू जिसमे से अवधि पार बकाया असल 225735/–रू ब्याज 195127/–रू द0 ब्याज 12483/–एवं वसूली व्यय 21666/–रू तथा बीमा राशि 0/–रू सहित कुल राशि 455011/– रू की अदायगी अप्रार्थी द्वारा आज दिनांक तक नही की गयी है उक्त डिग्री की राशि वसूलने हेतु जारी निष्पादन आदेश की क्रियान्विति करने के लिए विक्रय अधिकारी द्वारा अप्रार्थी की बैंक मे बन्धकित सम्पत्ति (ग्राम बोहना हल्का पटवारी गण्डावर तहसील खण्डार की आराजी (ख0न0 603/3 रकबा [illegible] 10 है0 ख0न0 603 मी. रकबा 3.00 है0, ख0न0 29 रकबा 5.12 है0, ख0न0 [illegible] 3.06 है0,हिस्सा 1/2 भाग) (ख0न0 603/3 रकबा 0.18 है0 ख0न0 [illegible]) को विक्रय करने की कार्यवाही संबंधित बैंक द्वारा 3 [illegible] 24.11.2015, 30.12.2015, 6.1.2016, को जरिये निलामी की गयी किन्तु निलामी कार्यवाही [illegible] दौरान केताओ के अभा[illegible]क्त सम्पति बेची नही जा सकी है। विक्रय अधिकारी की सिफा[illegible] एवं उप रजिस्ट्रार स[illegible] समितिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2022.01.17 18:08:54 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

(प्रार्थना पत्र संखय 35/2017 उनवानी सचिव भूमि विकास बैंक बनाम मनफल वगै.)

सवाईमाधोपुर द्वारा राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 103 के अन्तर्गत रहन की गयी भूमि या उसका भाग सोसायटी (बैंक) को अन्तरित करने हेतु बैंक के प्रशासक (उप जिला कलेक्टर) द्वारा प्रस्ताव संख्या 1 दिनांक 28.6.2016 के निर्णय का उप रजिस्टार सहकारी समितियॉ सवाईमाधोपुर द्वारा अनुमोदन कर अप्रार्थी की बैंक के पक्ष में रहन भूमि जो नीलामी में बेची नही जा सकी है का बैंक के पक्ष मे अन्तरण कराने की अभिशंषा की है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी की उक्त भूमि जो भूमि विकास बैंक शाखा खण्डार के बन्धक है को उक्त बैंक के नाम अन्तरित करने बाबत वकील भूमि विकास बैंक लि0 सवाईमाधोपुर ने निवेदन किया है।

वकील अप्रार्थी द्वारा दिनांक 28.3.2017 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थीगण मजदूर पेशा व्यक्ति है तथा गांव मे अकेला घर है तथा प्रार्थी की समस्त जमीन पर उसके भाई बन्धो ने लठठ के जोर से कब्जा कर रखा है। उक्त भूमि पर हमको काश्त नही करने देते है। इसलिए उक्त ऋण राशि में से 69069 रूपये ही माननीय न्यायालय के समक्ष जमा करवा सकते है।

प्रार्थी बैंक द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र के संदर्भ मे अवगत कराया कि अप्रार्थी पर दिनांक 31.3.2017 तक कुल 769168/–रू ऋण राशि बनती है यदि प्रार्थी एकमुस्त राशि जमा करवाना चाहते है तो 132633/–रू की जा सकती है।

सचिव भूमि विकास बैंक लि0 सवाईमाधोपुर द्वारा प्रस्तुत तर्को को सुनने के पश्चात् सम्बन्धित अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुॅचता हूॅ कि अप्रार्थी द्वारा भूमि विकास बैंक शाखा खण्डार की बकाया ऋण राशि रू 455011/–रू जमा नही करवायी गयी है तथा अप्रार्थी की बैंक मे बन्धकित सम्पति (ग्राम बोहना हल्का पटवारी गण्डावर तहसील खण्डार की आराजी (ख0न0 603/3 रकबा 6.18 है0,ख0न0 190 रकबा 4.10 है0 ख0न0 603 मी. रकबा 3.00 है0, ख0न0 29 रकबा 5.12 है0, ख0न0 374 रकबा 3.06 है0,हिस्सा 1/2 भाग) (ख0न0 603/3 रकबा 0.18 है0 ख0न0 197 रकबा 3.00 है0 हिस्सा पूर्ण भाग) को जरिये निलामी 3 बार विक्रय करने हेतु कार्यवाही की गयी किन्तु क्रेताओ के अभाव में उक्त सम्पति बेची नही जा सकी है। इस न्यायालय द्वारा अप्रार्थी को बैंक की उक्त राशि 30 दिवस मे जमा कराने बाबत नोटिस जारी किया गया नोटिस की पालना अप्रार्थी जरिये वकील न्यायालय मे उपस्थित होकर उक्त राशि जमा करवाने मे असमर्थता व्यक्त करते हुए बकाया ऋण राशि बैंक में जमा नही करवायी गयी। अतः सचिव भूमि विकास बैंक की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्याय के प्ररिप्रेक्ष्य में सचिव भूमि विकास बैंक लि0 सवाईमाधोपुर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उपरोक्तानुसार वर्णित सम्पत्ति को राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 103 के अन्तर्गत बैंक के रहन की गयी अप्रार्थीगण के हिस्से की उक्त कृषि भूमि को भूमि विकास बैंक शाखा खण्डार के पक्ष मे अन्तरित की जाती है। पत्रावली [illegible] कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 06.01.2022 [illegible] न्यायालय में सुनाया गया ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2022.01.17 18:08:54 IST
Reason: SelfAttested

(राजेन्द्र किशन)
जिलाकलेक्टर
सवाई माधोपुर

.....(2).....